266/4.30

संख्या– /IV(2)–श0वि0–17–29(सा)/13

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग– 2 देहरादून : दिनांक 27 नवम्बर, 2017

विषयः नवगठित नगर पंचायतों को कार्यालय स्थापना एवं कार्यालय व्यय हेतु अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में गठित नवीन नगर निकायों यथा– नगर पंचायत, पीपलकोटी एवं नगर पंचायत, तिलवाड़ा को कार्यालय स्थापना के लिए निन्तात आवश्यक एवं Most Economical उपकरण/वस्तुओं के क्रय हेतु प्रति नगर निकाय **₹ 4.50 लाख** की दर से, इस प्रकार उपरोक्त 02 नगर निकायों हेतु **₹ 4.50 X 2 = ₹ 9.00 लाख (₹ नौ लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु अपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1. उक्त धनराशि कुल **₹ 9.00 लाख (₹ नौ लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अनुसार प्रत्येक नवगठित नगर निकाय हेतु निर्धारित धनराशि ₹ 4.50 लाख सम्बन्धित नगर निकायों के प्रभारी अधिशासी अधिकारियों बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष नगर निकायों द्वारा व्यय विवरण शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय भौतिक/ प्रगति विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
5. केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने का प्रयास वित्त आयोग निदेशालय से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।
6. नियमित व पर्याप्त आय प्राप्त करने हेतु नवगठित नगर पंचायत, चमियाला द्वारा कार्य योजना तैयार कर त्वरित आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान **सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–51–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–01–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" –'20 सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

क्रमशः– 2/–

Awasthapna-17-18

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1), दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–s.17113.0206.. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या: 1122 / IV(2)-श0वि0–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पीपलकोटी/तिलवाड़ा।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।